आदेश-फलक संख्या ... प्रपत्र संख्या ... कार्रवाई और टिप्पणी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

म सं0-563

अभिलेख उपस्थापित।

-22 बाबूलाल राम पिता कोल्हा राम उर्फ रूपलाल चमार, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुड़ु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़ु, थाना नं0-147, खाता संख्या-95, प्लॉट संख्या-761, रकवा 0.0460 एकड़ (4.60 डिसमिल) (चार दशमलव छः शून्य डिसमिल) भूमि अभिषा देवी पति राजेन्द्र कुमार दास पिता छेदी रविदास, निवास स्थान ग्राम-चीचीकला, पोस्ट-जोरदाग, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22014866 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-122/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 406/रा0 दिनांक 25.01.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1630 दिनांक 29.09.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत शामलाल चमार वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 3.00 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 2.6450 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-61/I पर मूलचन्द, झखर वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् हैं। जमाबंदी रैयत आवेदक के पिता हैं। आवेदक के हिस्से में संयुक्त खाता में रकवा 2.5990 एकड़ भूमि है। आपसी घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्सा की भूमि बिक्री कर रहे हैं। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बाबूलाल राम पिता कोल्हा राम उर्फ रूपलाल चमार, निवास स्थान ग्राम-हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-95, प्लॉट संख्या-761, रकवा 0.0460 एकड़ (4.60 डिसमिल) (चार दशमलव छः शून्य डिसमिल) भूमि अमिषा देवी पति राजेन्द्र कुमार दास पिता छेदी रविदास, निवास स्थान ग्राम-चीचीकला, पोस्ट-जोरदाग, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.12.29 14:24:00 +05:30
Location: 192.168.0.111